

राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) अधिनियम ,2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 36)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई]

उच्च न्यायालय में और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में तंग करने वाली सिविल और दांडिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने को निवारित करने के लिए अधिनियम ।

यतः, उच्च न्यायालय में और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में तंग करने वाली सिविल और दांडिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने को निवारित किया जाना समीचीन है;

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ -(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. किसी व्यक्ति को तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित करना.- (1) किसी व्यक्ति को तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित करने के लिए-

(क) महाधिवक्ता द्वारा; या

(ख) उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा; या

(ग) उच्च न्यायालय की अनुमति से, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति ने सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित या संचालित की हैं,

उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किया जा सकेगा।

(2) यदि, उप-धारा (1) के अधीन फाइल किये गये किसी आवेदन पर, उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी न्यायालय में आदतन और किसी युक्तियुक्त आधार के बिना चाहे एक ही व्यक्ति के विरुद्ध या भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध तंग करने वाली सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित की हैं, तो उच्च

न्यायालय उस व्यक्ति को, जिसने ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की हैं, सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् यह घोषित कर सकेगा कि वह व्यक्ति तंग करने वाला मुकदमेबाज है।

(3) जब उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन फाइल किया जाये तो उस आवेदन पर महाधिवक्ता को भी सुना जायेगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन फाइल किया गया आवेदन उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ द्वारा सुना और विनिश्चित किया जायेगा।

3. किन्हीं सिविल या दांडिक कार्यवाहियों को संस्थित करने या जारी रखने के लिए तंग करने वाले मुकदमेबाज के लिए न्यायालय की अनुमति का आवश्यक होना.- (1) जब उच्च न्यायालय, उप-धारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 2 की उप-धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित करता है तो न्यायालय यह आदेश भी करेगा कि समुचित न्यायालय या समुचित न्यायाधीश की अनुमति प्राप्त किये बिना-

(क) उक्त व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में कोई सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेंगी; और

(ख) उच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में उक्त व्यक्ति द्वारा कोई सिविल या दांडिक कार्यवाहियां, यदि पहले ही संस्थित की हुई हों तो उसके द्वारा जारी नहीं रखी जायेंगी।

(2) तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित मामलों में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा:-

(क) जहां ऐसा व्यक्ति अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए समुचित न्यायालय में या समुचित न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही संस्थित कर रहा है;

(ख) जहां, ऐसा व्यक्ति, उसके विरुद्ध संस्थित किये गये किसी मामले में, स्वयं की प्रतिरक्षा करने के लिए समुचित कार्यवाहियां फाइल करने का या समुचित कार्यवाहियां करने का प्रस्ताव करता है;

(ग) जहां, समुचित न्यायालय या समुचित न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित की गयी या जारी रखी गयी किसी

कार्यवाही में, उक्त व्यक्ति समुचित और कार्यवाहियां फाइल करने का या समुचित और कार्यवाहियां करने का प्रस्ताव करता है।

(3) अनुमति तब तक प्रदान नहीं की जायेगी, जब तक कि समुचित न्यायालय, या यथास्थिति, समुचित न्यायाधीश का यह समाधान नहीं हो जाता कि कार्यवाहियां न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं हैं और तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित व्यक्ति द्वारा संस्थित की या जारी रखी जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों के लिए प्रथमदृष्ट्या आधार है।

स्पष्टीकरण.- इस धारा और धारा 5 में,-

(क) "समुचित न्यायालय या समुचित न्यायाधीश" से अभिप्रेत है-

(i) तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में फाइल की जाने या जारी रखी जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों के मामले में, उच्च न्यायालय;

(ii) तंग करने वाले मुकदमेबाज के रूप में घोषित व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में फाइल की जाने या जारी रखी जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों के मामले में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

(ख) "दांडिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने" से किसी दंड न्यायालय के समक्ष परिवाद फाइल करके अभियोजन चाहने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ या संस्थित करना या जारी रखना अभिप्रेत है;

(ग) सिविल या दांडिक कार्यवाहियां संस्थित करने या जारी रखने में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन संस्थित की गयी या जारी रखी गयी कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं हैं।

4. आदेश का प्रकाशन और संसूचना.- (1) धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश की प्रति राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी और ऐसी अन्य रीति से भी प्रकाशित की जा सकेगी जैसाकि उच्च न्यायालय निदेश दे।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आदेश, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समस्त न्यायालयों को भी ऐसी रीति से संसूचित किया जायेगा जैसाकि उच्च न्यायालय निदेश दे।

5. समुचित न्यायालय की अनुमति के बिना संस्थित की गयी या जारी रखी गयी सिविल या दांडिक कार्यवाहियों को खारिज किया जाना और अन्य परिणाम.- (1) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन आदेश किया गया है, उस धारा में निर्दिष्ट अनुमति प्राप्त किये बिना, किसी न्यायालय में संस्थित की गयी या जारी रखी गयी कोई भी सिविल या दांडिक कार्यवाहियां, उक्त न्यायालय द्वारा खारिज की जायेंगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कार्यवाहियां खारिज करते समय, न्यायालय ऐसे तंग करने वाले मुकदमेबाज को खर्चे संदत्त करने का निदेश भी देगा।

6. नियम बनाने की शक्ति.- उच्च न्यायालय इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित किये जाने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगा।

7. व्यावृत्ति.- इस अधिनियम के उपबंध, किसी अन्य विधि में के तंग करने वाले अभिवचनों को काट दिये जाने या विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को निवारित करने को उपबंधित करने वाले उपबंधों या ऐसे उपबंधों, जिनमें किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही के संस्थित किये जाने या जारी रखे जाने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी की किसी भी रूप में सहमति, मंजूरी या अनुमोदन की आवश्यकता हो, के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

दीपक माहेश्वरी
प्रमुख शासन सचिव।